https://jac.jharkhand.gov.in

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

WEB-NOTICE – 02/2026

ज्ञापांक : JAC/कॉ०स्था०/8473/25-Secy/05/26 दिनांक : 08.01.2026

स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त इंटर महाविद्यालयों के वित्तीय वर्ष 2025–26 के अनुदान हेतु आवश्यक कागजात/अभिलेख जमा करने के संबंध में आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त इंटर महाविद्यालय के सचिव एवं प्राचार्य को सूचित किया जाता है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा निदेशालय), झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या पी.आर.–365477 में दिए गए निदेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए अनुदान हेतु Online आवेदित स्थायी प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालय के आवेदन को विभाग में अनुशंसा सहित अग्रसारण करने हेतु निम्न कागजात (दो प्रतियों में सत्यापित छायाप्रति) के साथ जमा कराना आवश्यक है:–

(क) अनुदान के लिए Online जमा किए गए सानुलग्नक आवेदन प्रपत्र की सत्यापित Hard copy.

(ख) सत्र 2025–27 (प्रथम वर्ष) में 11वीं कक्षा के लिए नामांकित/पंजीकृत नियमित छात्र–छात्राओं की संख्या तथा सत्र 2024–26 (द्वितीय वर्ष) में 11वीं कक्षा उत्तीर्ण जो 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, के नियमित छात्र–छात्राओं की संकायवार संख्या। (11वीं कक्षा के नामांकन पंजी की सत्यापित छायाप्रति संलग्न की जाय)

(ग) विगत तीन माह की औसत उपस्थिति से संबंधित विवरणी।

(घ) इंटर परीक्षा, वर्ष 2025 (वार्षिक एवं सम्पूरक) के संकायवार नियमित छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत विवरणी।

(ङ) गत वर्ष में प्राप्त अनुदान के वितरण से संबंधित बैठक की कार्यवाही तथा अनुदान वितरण से संबंधित साक्ष्य (यथा– बैंक को भेजी गई राशि का ब्यौरा, Bank Statement तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं बंधक विलेख आदि की अभिप्रमाणित प्रति)।

(च) इंटर महाविद्यालय परिसर में अन्य संस्थान संचालित होने अथवा नहीं होने से तथा संस्थान में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता व अन्य आरोप है या नहीं, से संबंधित शपथ पत्र।

(छ) इंटर महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों की सत्यापित सूची।

(ज) पूर्ण शासी निकाय गठन से संबंधित पत्र।

(झ) परिषद् द्वारा आवंटित सीट से संबंधित पत्र की छायाप्रति।

(ञ) माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा अनुदान हेतु Portal में दिए गए निर्देश में अंकित शर्त्तों से संबंधित सभी कागजात दो प्रतियों में।

अनुदान से संबंधित कागजात/अभिलेख समर्पण हेतु निर्धारित कार्यक्रम :–

क्र. सं.	दिनांक	प्रमण्डल का नाम
1.	09.01.2026 एवं 10.01.2026	दक्षिणी छोटानागपुर, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू प्रमण्डल अवस्थित जिले के स्थायी प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालय
2.	11.01.2026	संथाल परगना एवं कोल्हान प्रमण्डल अवस्थित जिले के स्थायी प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालय

उक्त कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित तिथि को संबंधित प्रमण्डल के इंटर महाविद्यालय के सचिव एवं प्राचार्य निश्चित रूप से परिषद् में उपस्थित होकर सभी कागजातों, उपस्थिति पंजी एवं नामांकन पंजी के साथ परिषद् कार्यालय, राँची में सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही यह भी निदेश दिया जाता है कि निर्धारित तिथि के अन्दर Online जमा किए गए आवेदन को ससाक्ष्य सत्यापित कर दो प्रतियों में सत्यापन तिथि को ही परिषद् में जमा करेंगे। सत्यापन नहीं होने की स्थिति में उनके अनुदान के लिए आवेदित आवेदन को अग्रसारण योग्य नहीं माना जायेगा। निर्धारित तिथि के उपरान्त सत्यापन के संबंध में विचार नहीं किया जायेगा।

ध्यातव्य हो कि परिषद् उसी आवेदन को अग्रसारित करने में सक्षम है जिसका आवेदन Online परिषद् के Portal पर उपलब्ध होगा। निदेशालीय विज्ञप्ति संख्या पी.आर.–365477 में दिए गए निदेश का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।

नोट :– परिषद् द्वारा निर्धारित जाँच पत्रक/प्रपत्र में संस्थान से संबंधित सभी सूचनाएँ अंकित करते हुए सत्यापन तिथि में उपलब्ध कराना आवश्यक है।

अध्यक्ष के आदेश से,

ह0/–
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

ज्ञापांक : JAC/कॉ0स्था0/8473/25-Secy/05/26 / राँची, दिनांक : 08.01.2026

प्रतिलिपि : S.I.O. (वरीय सूचना प्रौद्योगिकी पदाधिकारी), झारखण्ड अधिविद्य परिषद् को इस आशय के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित कि उपरोक्त वेब नोटिस को परिषद् के वेबसाइट पर अपलोड करते हुए तद्नुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय।

ह0/–
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।